न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
30 / 2018	दावा 88,92A,188 RTA	16.04.2018	28.08.2019

1. अर्जुनदान पुत्र लालदान
2. भंवरी देवी पत्नी लालदान
3. भादरदान पुत्र लालदान
4. पारू पत्नी करणीदान
5. सीतादान पुत्र करणीदान
6. ओमदान पुत्र करणी दान
7. गोविन्द दान पुत्र करणीदान
8. सवाईदान पुत्र करणीदान
9. उदादान पुत्र करणीदान
10. राजूदान पुत्र करणीदान
11. मोहनदान पुत्र करणीदान
12. चुकी पुत्री करणीदान
13. विमला पुत्री करणीदान

} जाति चारण निवासीगण धीरासर चारणान तह0 व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. किशनदान पुत्र स्व0 बालदान पि0 मु0 हफजी
2. हडमानदान पुत्र स्व0 बालदान पि0 मु0 हफजी

} जाति चारण निवासीगण धाननी तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

3. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी बालदान
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध वादीगण
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह प्रतिवादी सं. 1 से 3

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार से पेश है–

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

स्व. रामनाथ दान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू

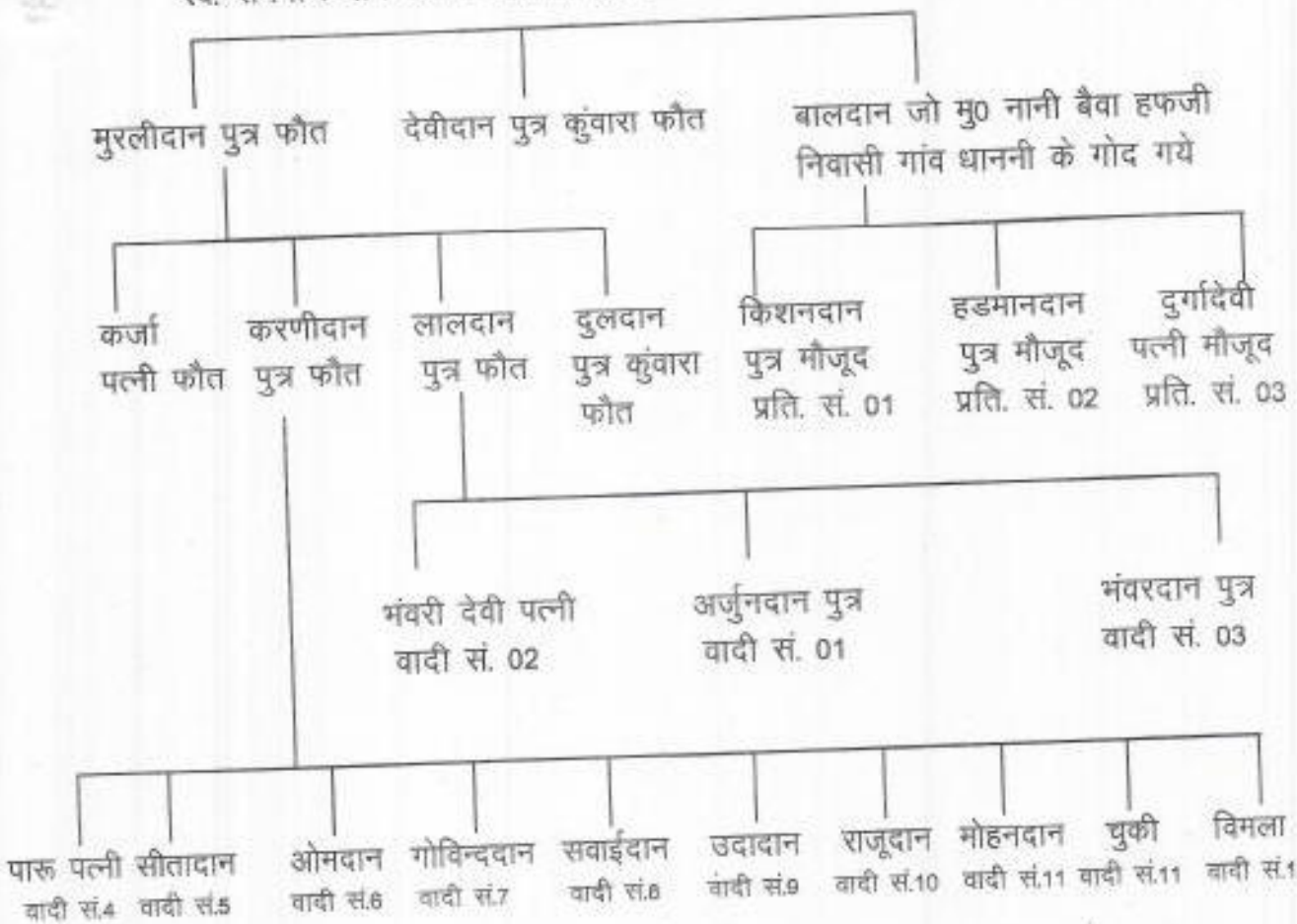

यह कि कृषि भूमि ख. नं. 6, 8, 140 तादादी क्रमशः 41 बीघा, 21.05 बीघा, 9 बीघा कुल किता 3 तादादी 71.05 बीघा रोही मौजा धीरासर चारणान तहसील चूरू के खातेदार काबिज काश्तकार वादी के दादा स्व: रामनाथदान थे रामनाथदान के तीन पुत्र हुये जिनमें से देवीदान कुंवारा फौत हो गया बालदान धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में मु0 नानी बैवा हफजी जाति चारण अपनी नानी के जो आज से करीब 70–80 वर्ष पूर्व अपनी बाल्य अवस्था में गोद चले गये थे ओर गोदपुत्र की हैसियत से अपनी नानी की चल अचल सम्पत्ति के मालिक बन गये नानी के पुत्र संतान नहीं थी इसलिये सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति ननीहाल पक्ष की बालदान के ही रही तथा धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ में मु0 नानी की खातेदारी का खेत जरिये विरासतन इन्तकाल सं. 40 सन् 1956 में उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन के रूप में अंकित हो गया और बालदान के गोद जाने के कारण उनके पिता रामनाथदान की सम्पत्ति में उनका कोई हक अधिका कानूनी रूप से नहीं रहा। रामनाथदान के दुसरे पुत्र देवीदान कुंवारे फौत हो गये थे इसलिये रामनाथदान की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग मुरलीदान का रहा और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान के कब्जा काश्त में रहा। रामनाथदान की मृत्यु के पश्चात वादगत कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल में गलती से रिकॉर्ड में बालदान के नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया जबकि बालदान अपने बचपन में ही मु0 नानी के गोद गया था इसलिये उसका हिस्सा रामनाथदान की भूमि में हिस्सा शेष नहीं रहा इस भूमि को पिछले 70–80 वर्षों से मुरलीदान के ही कब्जा काश्त में रहा में रहा जिसके

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अनुसार रामनाथ की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर 1/2 हिस्सा पर वादी सं. 1 से 3 का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग तथा शेष 1/2 हिस्सा पर वादी सं. 4 से 13 का कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग निरन्तर करीब 70–80 वर्षों से वादीगण व उसके पूर्वजों से चला आ रहा है। रामनाथदान का पुत्र बालदान जो अपनी नानी मु0 हफजी के आज से करीब 70–80 वर्ष पहले गोद चला गया था जो उसकी नानी लगती थी तथा अपनी नानी की चल व अचल सम्पत्ति का मालिक रहा रामनाथदान की मृत्यु होने पर जायन्दा पुत्र होने के कारण से रामनाथदान की खातेदारी भूमि ख. नं. 6, 8, 140 तादादी क्रमशः 41 बीघा, 21.05 बीघा, 9 बीघा कुल किता 3 तादादी 71.05 बीघा रोही मौजा धीरासर चारणान तहसील चूरू में बालदान का नाम दर्ज हो गया जो आज तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चला आ रहा है जबकि बालदान व उसके वारिसान का इस खेत पर कभी कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग नहीं रहा है बल्कि मुरलीदान के वारिसान का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग लगातार चला आ रहा है और उक्त कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग करीब 70–80 वर्षों से मुरलीदान के वारिसान का इस खेत पर चला आ रहा है इस कृषि भूमि पर न तो बालदान का अपने जीवनकाल में कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग एवं हक अधिकार रहा है एवं ना ही उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का कब्जा काश्त या हक अधिकार रहा है गलत रूप से बालदान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चला आ रहा है इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि उक्त कृषि भूमि में बालदान के नाम चली आ रही खातेदारी के स्थान पर अपने नाम से खातेदारी घोषित करावें जिसके लिये यह दावा पेश किया गया है। गलत रूप से बालदान का नाम रिकॉर्ड में अंकित चले आने से बालदान की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 के मन में लालच आ गया है और वह गलत रूप से बालदान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2 हिस्सा की आड में इस भूमि को गल रूप से विक्रय करने की कुचेष्टा में है और वादीगण को येनकेन प्रकरेण बेदखल करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादगण वादीगण को काश्त करने से न रोके ना ही इस भूमि से बेदखल करे ना इस भूमि को विक्रय करे जिसके लिये यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। बालदान का अपने जीवनकाल में कभी भी इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त या उपयोग व उपभोग नहीं रहा है तथा ना ही बालदान ही बालदान की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादगण का इस भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग है तथा वादीगण एवं उनके पूर्वजों का ही इस इस कृषि पर 70–80 वर्षों से कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा है इसलिये इस भूमि पर 12 वर्ष से अधिक अर्से से प्रतिवादीगण का व उसके पूर्वज बालदान का कब्जा काश्त न होने के कारण उनका इस भूमि में अधिकार धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो चुका है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी कहा एवं कहलवाया कि वादीगण को उक्त विवादित कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवा देवे वादीगण के कब्जा में दखल नहीं करे परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे और आखिरकार दिनांक 13.07.2014 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये जिससे वादीगण की ओर से इसी न्यायालय में एक वाद सं. 63/2014 अनवानी अर्जुनदान वगैरा बनाम किशनदान वगैरा का प्रस्तुत किया गया जिस दावा में कुछ कानूनी नुक्स होने की वजह से

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीगण ने अपना वह दावा इस शर्त के साथ न्यायालय की अनुमति से आदेश दिनांक 24.11.2015 को विड्रा कर लिया कि वादीगण चाहे तो वादगत कृषि भूमि के लिये पुनः पेश कर सकेंगे इसलिये उस आदेश दिनांक 24.11.2015 के परिपेक्ष्य में यह दावा पेश किया जा रहा है जिसके लिये वादीगण को वाद कारण प्राप्त है और विवादित भूमि नियमानुसार वादीगण की खातेदारी की होने से वादा आधार प्राप्त है । समस्त रिकॉर्ड प्रतिवादीगण सं. 4 के पावर व पजेशन में है ओर उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये उनको बिना दफा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये ही पक्षकार वाद बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में है और अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) वादगत कृषि भूमि ख. नं. ख. नं. 6, 8, 140 तादादी क्रमशः 41 बीघा, 21.05 बीघा, 9 बीघा कुल किता 3 तादादी 71.05 बीघा रोही मौजा धीरासर चारणान तहसील चूरू में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पूर्वज बालदान के नाम से दर्ज चला आ रहा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे तथा वादीगण सं. 1 से 3 के नाम से 1/2 हिस्सा तथा वादीगण सं. 4 से 13 के नाम से शेष 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादीगण के हितकर हो अथवा हो जावे वह भी प्रदान करें

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से श्री ऋषिराजसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जवाबदावा हेतु समय चाहा। वकील प्रतिवादीगण को आवश्यक, अन्तिम एवं स्वतः बन्द की शर्त सहित कुल 12 अवसर एवं एक वर्ष से अधिक का समय दिया गया परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया जिस पर अन्ततः जवाबदावा अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी में दिनांक 17.07.19 को गवाह अर्जुनदान व गोविन्ददान ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनकी प्रतिलिपि वकील प्रतिवादीगण को देने का आदेश दिया गया परन्तु वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए। वकील प्रतिवादी को साक्ष्यवादी से जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। नियत दिनांक 21.08.19 को गवाहान के बयानात लेखबद्ध किये गये एवं वकील प्रतिवादीगण को जिरह हेतु न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु वकील प्रतिवादीगण जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए जिस प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण के अन्य गवाह पेश नहीं करना चाहते का कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दावा पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज रामनाथदान की खातेदारी की होने से वादीगण की दादालाई पैतृक विरासत की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रामनाथदान के तीन पुत्र मुरलीदान, देवीदान व बालदान हुए जिनमें से देवीदान कुंआरा फौत हो गया तथा बालदान बाल्यवस्था में ही अपनी नानी मु0 नानी बेवा हफजी के गांव धाननी तहसील लक्ष्मणगढ में गोद चला गया क्योंकि उनकी नानी के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी एवं गोदपुत्र की हैसियत से अपनी नानी की चल अचल सम्पत्ति का मालिक बन गया जिसका विरासतन इन्तकाल सं. 40 सन् 1956 में उसके नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार बालदान के गोद जाने के कारण उसका अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार कानूनन नहीं रहा है परन्तु रामनाथदान की मृत्यु के बाद वादगत कृषि भूमि में दर्ज विरासतन इन्तकाल में गलती से बालदान का नाम 1/2 हिस्सा में दर्ज हो गया जबकि उसका व उसके वारिसान का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग पिछले 70–80 सालों से कभी नहीं रहा। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग पिछले 70–80 सालों से मुरलीदान व उसके वारिसान वादीगण का ही रहा है। इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण का व उनके पूर्वज बालदान का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार इनका इस भूमि में अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुका है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्सा खातेदारी की आड़ में प्रतिवादी सं. 1 से 3 इस भूमि को विक्रय करने की कुचेष्टा में है तथा वादीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए स्व. बालदान के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्वज बालदान के नाम गलत दर्ज 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा वादीगण के नाम करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। वादीगण ने साक्ष्यवादी से अपने दावा कथनों को प्रमाणित कराया है जिससे दावा वादीगण के पक्ष में पूर्णतः प्रमाणित होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्वज बालदान के नाम अंकित 1/2 हिस्सा की खोतदारी वादीगण के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त 1/2 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 से 3 नाम तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी सं. 4 से 13 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे।

वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया किया गया। वादीगण ने अपने दावा को प्रमाणित कराने के लिए प्रदर्श–1 से प्रदर्श–14 तक पेश किये हैं। प्रदर्श–1 वादगत कृषि भूमि की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम धीरासर चारणान ख.नं. 6, 8 तादादी कमशः 41.00, 21.05 कुल तादादी 62.05 बीघा है जिसमें पारू बेवाह करणीदान, सीतादान, ओमदान, गोविन्ददान, सवाईदान, उदादान, राजूदान, मोहनदान पि. करणीदान, चुकी, विमला पुत्रियां करणीदान ब.हि.ब. 1/8 हि. कुरजां बेवाह मुरलीदान, दलूदान पि. मुरलीदान, 1/4 हि. मु. भंवरी बेवाह लालूदान, अर्जनदान, भादरदान पि. लालूदान ब.हि.ब. 1/8 हि. बालदान वल्द रामनाथदान 1/2 हि. कौम चारण सा. देह खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा में बालूदान पि.मु. हफजी कौम चारण सा.देह व नीचे बालूदान पुत्र रामनाथ चारण सा.देह अंकित है। प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा में बालूदान पि.मु. हफजी कौम चारण सा.देह व नीचे बशरह सदर अंकित है। प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा में मु. नानी बेवाह हफजी कौम चारण सा.देह व नीचे बालूदान पुत्र रामनाथ कौम चारण सा.देह अंकित है। प्रदर्श–5ए छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा में बालूदान पि.मु. हफजी जाति चारण सा.देह अंकित है। प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण सं. 40 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ खाता नं. 74 किता 2 रकबा 55.05 बीघा के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह नामान्तरण मु. नानी बेवाह हफजी के फौत हो जाने पर बालूदान दत्तक पुत्र हफजी कौम चारण स.देह के नाम दर्ज हुआ है जिसके कॉलम नं. 5 में नानी का नाम दर्ज है तथा कॉलम नं. 11 में बालूदान का नाम अंकित है। कॉलम नं. 16 रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.10.56 में अंकित है कि मु.नानी बेवाह को फौत हुए करीबन 7 साल हो गये। उसके कोई जाइन्दा औलाद नहीं है। आराजी पर खाना नं. 11 के अनुसार उसका दोहिता काबिज है। इतला जरिये पटेलान प्राप्त हुई। ह0 हेमसिंह पटवारी। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर्ता अधिकारी नायब तहसीलदार के निर्णय में अंकित है कि "सार्वजनिक सभा में सर्व श्री हिंगलाजदान व हनमानाराम पटेलान व सांवलदान आदि द्वारा प्रमाणित किया गया कि मु. नानी बेवाह हफजी को मरे 7 साल हो गये व हफजी को मरे 39 साल हो गये। बालूदान हफजी की लड़की सोना का लड़का है इसको हफजी अपनी जिन्दगी में ही अपने पास ले आये थे उस वक्त इसकी उम्र करीब 3 साल थी अब वह 46 साल का है और जब से यहीं रहकर नानी व हफजी की सेवा की। इसका विवाह भी मु. नानी ने ही किया व उनके मकान आदि पर बालूदान का ही कब्जा है व यही उनका दत्तक पुत्र वारिस जायज है। ऐसी अवस्था में इस खाते नं. 74 रकबा 55।) पर उत्तराधिकार नामान्तरकरण ब नाम बालूदान स्वीकृत है।" प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रति निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ (31) सन् 1980 भाग संख्या 47 कम संख्या 475 से 478 मकान सं. 73 में क्रमशः बालूदान/हफदान पु0 69, दुरगी/बालूदान स्त्री 69, किशनदान/बालूदान पु0 41, चन्दरी/किशनदान स्त्री 39 अंकित है। प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्वत् 1999 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा के खातेदार के कॉलम नं. 3 में मु. नानी बेवाह हफजी कौम चारण सा.देह अंकित है। प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा के कृषक के कॉलम नं. 5 में बालूदान पि.मु. हफजी जाति चारण सा.देह अंकित है। प्रदर्श–10 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 75 तादादी 29.14 बीघा व ख.नं. 218 तादादी 25.11 बीघा में बालूदान पि.मु. हफजी कौम चारण सा.देह व नीचे बशरह सदर अंकित है। प्रदर्श–11 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 11/1 तादादी 3.7600 हैक्टेयर व ख.नं. 344/1 तादादी 3.2300 हैक्टेयर में हणमानदान पुत्र बालूदान जाति चारण सा.देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श–12 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ ख.नं. 11/2 तादादी 3.7500 हैक्टेयर व ख.नं. 344/2 तादादी 3.2300 हैक्टेयर में किशनदान पुत्र बालूदान जाति चारण सा.देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श–13 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम धीरासर चारणान ख.नं. 6, 8 तादादी क्रमशः 10.3700 व 5.3747 कुल 15.7447 हैक्टेयर में वर्तमान में वादी सं. 1 से 13 खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–14 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम धीरासर चारणान ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर में वर्तमान में वादी सं.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

1 से 13 तक 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्वज बालदान पुत्र रामनाथदान 1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित हैं।

पत्रावली एवं पेश प्रदर्श–1 से प्रदर्श–14 तक के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 6, 8, 140 रोही ग्राम धीरासर चारणान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्वज रामनाथदान की खातेदारी की रही है। स्व. रामनाथदान के कुल तीन पुत्र मुरलीदान, देवीदान व बालदान हुए जिनमें से देवीदान कुंआरा लाऔलाद फौत हो गया तथा बालदान अपनी बाल्य अवस्था में ही अपनी नानी के गोद चला गया जिससे उपरोक्त वादगत कृषि भूमि का एकमात्र वारिस मुरलीदान ही शेष रहा परन्तु रामनाथदान के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में गलती से 1/2 हिस्सा में बालदान के नाम दर्ज कर दी गई जबकि बालदान के अपनी नानी के ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ में बाल्यावस्था में ही गोद चले जाने से उक्त वादगत कृषि भूमि में उसका कोई हक, अधिकार, उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि पर स्व. मुरलीदान के वारिसान वादीगण का ही रहा है। वादगत कृषि भूमि ग्राम धीरासर चारणान के ख.नं. 6 व 8 की भूमि के 1/2 हिस्सा में पहले बालदान का नाम खातेदारी में अंकित रहा है जो कि वर्तमान जमाबन्दी में अंकित नहीं है। उक्त खसरों की सम्पूर्ण भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है जबकि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान के 1/2 हिस्सा में आज भी बालदान पुत्र रामनाथदान का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। उक्त 1/2 हिस्सा में से बालदान का नाम हटाया जाकर बालदान के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। वादीगण ने दावा में स्व. बालदान के वारिसान उसकी पत्नी व पुत्रगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पक्षकार बनाया है जो न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं परन्तु असीमित अवसर दिये जाने के बावजूद भी ना तो दावा के प्रतिवाद में जवाबदावा पेश किया है तथा ना ही विरोध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। वादीगण की ओर से पेश गवाहों से वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह भी नहीं की गई है।

प्रस्तुत दावा में बालदान के अपनी नानी नानी बेवाह हफजी के गोद जाने का तथ्य प्रदर्श–2 से प्रदर्श–12 से भली भांति प्रमाणित होता है जिसमें प्रदर्श–6 नानान्तरकरण सं. 40 ग्राम धाननी है जो मु. नानी बेवाह हफजी के स्वर्गवास होने के बाद दर्ज किया गया है जिसमें बालदान के तीन वर्ष की उम्र में अपने नाना के पास ग्राम धाननी में रहना, उसका पालन पोषण वहीं होना एवं उसका विवाह मु. नानी बेवाह हफजी के द्वारा किया जाना, हफजी की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर बालदान का ही कब्जा होना एवं उसका एकमात्र जायज वारिस बालदान पुत्र रामनाथदान होना आदि समस्त तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित हैं। उक्त दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि बालदान के अपनी नानी के गोद चले जाने एवं अपना हक हिस्सा स्व. हफजी की समस्त चल अचल सम्पत्तियों के रूप में प्राप्त कर लेने से नियमानुसार वादगत कृषि भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है इसलिए बालदान के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 का भी उक्त वादगत कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। बालदान के नाना हफजी की सम्पत्ति में प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं जो तथ्य प्रदर्श–11 व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रदर्श–12 से साबित होता है। वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–13 के तुलनात्मक अवलोकन से यह साबित होता है कि ग्राम धीरासर चारणान के ख.नं. 6 व 8 की भूमि के 1/2 हिस्सा में पहले बालदान का खातेदारी में अंकित रहा है जो कि वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श–13 में अंकित नहीं है। उक्त खसरों की सम्पूर्ण भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है जबकि वादगत कृषि भूमि प्रदर्श–14 ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान के 1/2 हिस्सा में आज भी बालदान पुत्र रामनाथदान का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। उक्त 1/2 हिस्सा में से बालदान का नाम हटाया जाकर बालदान के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त स्व. बालदान का या उसके वारिसान उसकी पत्नी व पुत्रगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 का कभी भी नहीं होने का तथ्य प्रदर्श–7 निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (31) वर्ष 1980 से साबित होता है। स्व. बालदान एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थाई रूप से निवास करते हैं जिससे वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त भी प्रतिवादीगण का नहीं होकर वादीगण का ही होना साबित होता है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान भी इस दावा पर लागू होते हैं। वादीगण ने अपने दावा में अंकित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराया है। इस प्रकार दावा वादीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है इसलिए वादीगण वादगत कृषि भूमि ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान के 1/2 हिस्सा में अंकित बालदान पुत्र रामनाथदान का नाम हटवा कर उक्त 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवा कर राजस्व अभिलेख में अंकित करवाने के अधिकारी हैं। दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 आर.टी.ए. का वादीगण के पक्ष में साबित होने से दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान तहसील चूरू में अंकित खातेदार बालदान पुत्र रामनाथदान 1/2 हिस्सा के स्थान पर उक्त 1/2 हिस्सा में से वादी सं. 1 से 3 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. एवं वादी सं. 4 से 13 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित करने एवं बालदान का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. अर्जुनदान पुत्र लालदान
2. भंवरी देवी पत्नी लालदान
3. भादरदान पुत्र लालदान
4. पारू पत्नी करणीदान
5. सीतादान पुत्र करणीदान
6. ओमदान पुत्र करणी दान
7. गोविन्द दान पुत्र करणीदान
8. सवाईदान पुत्र करणीदान
9. उदादान पुत्र करणीदान
10. राजूदान पुत्र करणीदान
11. मोहनदान पुत्र करणीदान
12. चुकी पुत्री करणीदान
13. विमला पुत्री करणीदान

} जाति चारण निवासीगण धीरासर चारणान तह0 व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. किशनदान पुत्र स्व0 बालदान पि0 मु0 हफजी
2. हडमानदान पुत्र स्व0 बालदान पि0 मु0 हफजी
3. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी बालदान

} जाति चारण निवासीगण धाननी तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 30 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 आर.टी.ए. का वादीगण के पक्ष में साबित होने से दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 140 तादादी 2.2764 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान तहसील चूरू में अंकित खातेदार बालदान पुत्र रामनाथदान 1/2 हिस्सा के स्थान पर उक्त 1/2 हिस्सा में से वादी सं. 1 से 3 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. एवं वादी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सं. 4 से 13 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित करने एवं बालदान का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह अगस्त सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू